संख्या:180/2026/1377/35-4-2026/35-4002(099)/1/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 10 सितम्बर,2026

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-108/2026/605/35-4-2026/ 35-4002(099)/1/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद मेरठ मेंत्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत 155 कार्यों की रू0 3889.06 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 966.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

2- जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक-404/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 20 अगस्त, 2026 द्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 के क्रमांक-23 पर अंकित कार्य यथाः ग्राम पांचली खुर्द विकास खण्ड जानी आये के यहा से कुए की इंटरलाकिंग सडक निर्माण कार्य (लम्बाई-180 मी0, लागत रु. 12.92 लाख) को ग्राम पंचायत द्वारा करा दिये जाने के दृष्टिगत एतदद्वारा उक्त कार्य की स्वीकृति को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। निरस्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रुपये तीन लाख मात्र को राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना ट्रेजरी चालान की प्रति सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:180/2026/1377(1)/35-4-2026/35-4002(099)/1/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज ।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मंडल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मेरठ।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ।।
16- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।